

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प गोडाडिया

आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोडाडिया व भूअनि. गुडुकापुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोडाडिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् १९७२-७५ में खाता संख्या ७५ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>गोडाडिया</u>	<u>७५</u>	<u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u>	<u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u> <u>श्री. शंकर लाल शर्मा</u>

(रतनलाल शर्मा)  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 134

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- १३/५/७२

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री श्री. शंकर लाल शर्मा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल शर्मा)  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा